भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 178

उत्तर देने की तारीख- 01/12/2025

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण

†178. **श्री थरानिवेंथन एम. एस.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों के निर्माण तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में बालिकाओं के शौचालयों और पेयजल सुविधाओं के निर्माण के लिए अब तक कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक बालिकाओं के लिए शौचालय और पेयजल सुविधाओं से लाभान्वित हुए विद्यालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि सभी विद्यालयों, विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए शौचालयों और पेयजल सुविधाओं के लिए पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध हो; और

(ङ) इन प्रावधानों के विद्यालयों में इन बालिकाओं के नामांकन, उन्हें बनाए रखने और उनके समग्र कार्य-निष्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2018-19 से मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज+) से निर्धारित कमियों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बालिकाओं के लिए अलग शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और संवर्द्धन हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा लागू कर रहा है। स्कूलों की आवश्यकता तथा बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों सहित

स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रत्येक वर्ष उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता पर वृद्धिशील आधार पर गणना की जाती हैं और उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में परिलक्षित होती हैं। फिर इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों में बालिकाओं और बालकों हेतु अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी में स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई) शुरू की थी। इस पहल के तहत 2,61,400 सरकारी प्रारंम्भिक और माध्यमिक स्कूलों में 1,91 लाख बालिकाओं के शौचालयों सहित 4,17,796 शौचालयों का निर्माण पूरा किया गया।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश भर के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अलग से बालिकाओं के कार्यशील शौचालयों की 100 प्रतिशत उपलब्धता और पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है।

वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक तमिलनाडु राज्य को 3888 बालिकाओं के शौचालयों के निर्माण हेतु 9884.33 लाख रुपये और 831 स्कूलों में पेयजल सुविधाओं के प्रावधान हेतु 936.06 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

यूडाइज+ 2024-25 के अनुसार, देश भर में 97.1% सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय हैं और 99.3% स्कूलों में पेयजल की सुविधा है। राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

समग्र शिक्षा के तहत भारत सरकार द्वारा स्कूलों में बालिकाओं के लिए कार्यशील शौचालयों और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का देश भर में बालिकाओं की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्कूली अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर निरंतर ध्यान देने से बालिकाओं के नामांकन में सुधार हुआ है; उच्च प्रतिधारण और ड्रॉपआउट में कमी आई है; तथा अधिगम परिणामों और स्कूलों में बालिका छात्रों की भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2024-25 में सकल नामांकन अनुपात का लैंगिक समानता सूचकांक मूलभूत चरण हेतु 1.0; प्रारंभिक चरण के लिए 1.0; मध्य चरण के लिए 1.0 और माध्यमिक चरण के लिए 1.1 है जो यह दर्शा रहा है कि बालिकाओं और बालकों के नामांकन में कोई अंतर नहीं है।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री थरानिवेंथन एम. एस. द्वारा "समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण" के संबंध में दिनांक 01.12.2025 को पूछे गए लोक सभा आतारांकित प्रश्न संख्या 178 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जिनमें निम्न सुविधा हो	
	बालिकाओं के शौचालय (%)	पेयजल (%)
भारत	97.1	99.3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.0	100.0
आंध्र प्रदेश	98.9	100.0
अरुणाचल प्रदेश	89.5	91.1
असम	98.2	98.9
बिहार	98.7	99.8
चंडीगढ़	100.0	100.0
छत्तीसगढ़	94.7	99.4
दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	99.7	100.0
दिल्ली	100.0	100.0
गोवा	100.0	100.0
गुजरात	98.5	99.9
हरियाणा	99.8	100.0
हिमाचल प्रदेश	99.4	100.0
जम्मू और कश्मीर	90.2	99.6
झारखंड	98.4	99.1
कर्नाटक	98.9	99.9
केरल	99.7	99.9
लद्दाख	91.2	98.6
लक्षद्वीप	100.0	100.0
मध्य प्रदेश	97.5	99.5
महाराष्ट्र	97.0	99.8
मणिपुर	79.2	99.7
मेघालय	84.4	72.7
मिजोरम	86.1	94.1
नागालैंड	88.6	88.0
ओडिशा	99.0	100.0
पुडुचेरी	100.0	100.0
पंजाब	99.2	100.0
राजस्थान	94.3	99.0
सिक्किम	98.4	99.9
तमिलनाडु	94.8	99.7
तेलंगाना	94.0	99.4
त्रिपुरा	91.2	97.4
उत्तर प्रदेश	97.3	99.8
उत्तराखंड	97.9	99.2
पश्चिम बंगाल	99.7	99.9

स्रोत: यूडाइज+ 2024-25